

To be filled in by the candidate in his own handwriting

No.F/1 /9 -R Roll No.

हाल ही के पासपोर्ट आकार (5 से.मी. x 7 से.मी.) के हस्ताक्षरित फोटो की प्रति चिपकाइए
Affix signed Passport size (5cm x 7cm approx.) copy of recent photograph

साक्ष्यांकन फार्म/ATTESTATION FORM
चेतावनी/WARNING

साक्ष्यांकन फार्म में झूठी सूचना देना या किसी तथ्य को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी तथा उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझे जाने की संभावना है।

The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

2. इस फार्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नजरबन्द, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, बन्दी, जुर्माना, दण्डित, विवर्जित, दोषमुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल संघ लोक सेवा आयोग को अथवा उस अधिकारी को यथास्थिति भेजी जानी चाहिये, जिसको पहले साक्ष्यांकन फार्म भेजा गया है। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि वास्तविक सूचना छिपाई गई है।

If detained, arrested, prosecuted, bond down, fined, convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the completion and submission of this form the details should be communicated immediately to the Union Public Service Commission or the authority to whom the attestation form has been sent earlier, as the case may be, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

3. यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में यह पता चलता है कि साक्ष्यांकन फार्म में झूठी सूचना दी गई है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.

	उपनाम/Surname	नाम /Name
1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) उपनामों सहित (यदि आपने अपने नाम या उपनाम में किसी समय कुछ बढ़ाया या घटाया है तो कृपया बताएं) Name in full (in Block, Capitals), with aliases, if any (Please indicate if you have added or dropped at any stage, any part of your name or surname).		
2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली /सड़क/मार्ग और नगर) Present address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town)		
3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली/सड़क/मार्ग और नगर और जिले के मुख्यालय का नाम) (a) Home address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town and name of District Headquarter). (ख) यदि पाकिस्तान का मूल निवासी है तो उस देश में पता और भारत संघ में प्रजनन की तारीख। (b) If originally a resident of Pakistan the address in that country and the date of migration to Indian Union.	(क) (a) (ख) (b)	

4. उन स्थानों का ब्यौरा (रहने की अवधियों सहित) जहां आप पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेशों (पाकिस्तान सहित) रहे हों तो उन स्थानों का ब्यौरा देना चाहिए जहां आप एक वर्ष से अधिक समय तक 21 वर्ष की आयु होने के बाद रहे हों।

Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given.

कब से From	कब तक To	निवास स्थानों के पूरे पते (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली /सड़क/मार्ग और नगर) Residential address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town)	पिछले खाने में दिये गये स्थान के जिले के मुख्यालय का नाम Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding column

5. (क)
(a)

रिश्ता नाम Relation Name	राष्ट्रीयता (जन्म से और/या अधिवास से) Nationality (by birth and/or by domicile)	जन्म का स्थान Place of birth	व्यवसाय (यदि सेवा में हो तो पूरा पदनाम और कार्यालय का पूरा पता दिया जाये) Occupation (if employed give full designation & Official address)	वर्तमान डाक का पता (यदि मृतक हो तो पिछला पता) Present Postal address (if dead give last address)	घर का स्थाई पता Permanent Home address
(i) पिता (पूरा नाम, उपनामों सहित यदि कोई हो) Father (Name in full aliases, if any)					
(ii) माता Mother					
(iii) पत्नी/पति Wife/Husband					
(iv) भाई Brother(s)					
(v) बहनें Sister(s)					

(ख) विदेश में पढ़ रहे/रह रहे पुत्र/(पुत्रों) और/या पुत्री/(पुत्रियों) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।

(b) Information to be furnished with regard to son(s) and/or daughter(s) in case they are studying/living in a foreign country.

नाम Name	राष्ट्रीयता (जन्म से और/या अधिवास से) Nationality (by birth and/or by domicile)	जन्म का स्थान Place of birth	देश का नाम जहां पढ़ रहे/रह रहे हैं पूरा पता Country in which studying/ living with full address	पिछले कालम में दिये गये देश में जिस तारीख से पढ़/रहे हैं Date from which studying/living in the country mention in previous column

6. राष्ट्रीयता

Nationality

7. (क) जन्म की तारीख (ईस्वी संवत् में) (क)
 (a) Date of birth (in Christian era) (a)
 (ख) वर्तमान आयु (ख)
 (b) Present Age (b)
 (ग) मेट्रिक के समय आयु (ग)
 (c) Age at matriculation (c)
-
8. (क) जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है (क)
 (a) Place of birth, District and State in which situated (a)
 (ख) आप किस जिले और राज्य के हैं (ख)
 (b) District and State to which you belong (b)
 (ग) आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं (ग)
 (c) District and State to which your father originally belongs (c)
9. (क) आपका धर्म (क)
 (a) Your religion (a)
 (ख) क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के हैं? उतर हाँ या नहीं के रूप में दें। (ख)
 (b) Are you a member of a Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC? Answer 'Yes or No' (b)

10. 15 वर्ष की आयु से किन-किन स्कूलों और कालेजों में और किन-किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की उसके स्थानों को वर्षों के साथ दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यताएं।

Educational qualification showing places of education with years in Schools and Colleges since 15th year of age:

स्कूल/कालेज का नाम और पूरा पता Name of School/College with full address	प्रवेश की तारीख Date of entering	छोड़ने की तारीख Date of leaving	परीक्षा Examination

11. (क) क्या आप इस समय केन्द्रीय या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी या स्थायीवत् सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर सरकारी उपक्रम या संस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी कार्य किया है? यदि हाँ, तो नियोक्ता की तारीख सहित पूर्ण विवरण दें।

(a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central or State Government or a semi-Government or a quasi-Government body or an autonomous body, or a public undertaking or a private firm or institution? If so, give full particulars with dates of employments up-to-dates:

अवधि Period		पद, परिलब्धियाँ तथा रोजगार का स्वरूप Designation, emoluments and nature of employment	नियोक्ता का पूरा नाम व पता Full name and address of employer	पहली नौकरी छोड़ने का कारण Reasons of leaving previous service
से From	तक To			

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालित किसी उपक्रम, किसी स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन थी, यदि आपने केन्द्रीय सिविल सेवायें (अस्थाई सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के अधीन या किन्हीं इसी प्रकार के नियमों के अधीन एक महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी या जब आपकी सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपसे किसी मामले में आपके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था?

(b) If the previous employment was under the Government of India/State Government/an Undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Government/Autonomous body/University/local body. If you had left service on giving a month notice under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date before your services actually terminated?

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये? (a) Have you ever been arrested? हाँ/नहीं
Yes/No
- (ख) क्या आप पर कभी मुकदमा चला है? (b) Have you ever been prosecuted? हाँ/नहीं
Yes/No
- (ग) क्या आप कभी नजरबंद रखे गये? (c) Have you ever been kept under detention? हाँ/नहीं
Yes/No
- (घ) क्या आप कभी बंदी बनाये गये? (d) Have you ever been bound down? हाँ/नहीं
Yes/No
- (ङ.) क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है? (e) Have you ever been fined by a Court of Law? हाँ/नहीं
Yes/No
- (च) क्या आप कभी किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं? हाँ/नहीं
- (f) Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence? Yes/No
- (छ) क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य जिलाधिकरण/संस्था द्वारा निकाले गये? हाँ/नहीं
- (g) Have you ever been debarred from any examination or rusticated by any University or any other educational authority/institution? Yes/No
- (ज) क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने/चयन के लिए विवर्जित/अयोग्य ठहराए गए हैं? हाँ/नहीं
- (h) Have you ever been debarred/disqualified by any Public Service Commission/Staff Selection Commission for any of their examination /selection? Yes/No
- (झ) इस साक्ष्यांकन फार्म को भरते समय क्या किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है? हाँ/नहीं
- (i) If any case pending against you in any court of law at the time of filling up this Attestation Form? Yes/No
- (ञ) इस साक्ष्यांकन फार्म को भरते समय क्या किसी शैक्षिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है? हाँ/नहीं
- (j) Is any case pending against you in any University or any other educational authority/institution at the time of filling up this Attestation Form? Yes/No
- (ट) क्या सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान से कार्यमुक्त/निष्कासित/प्रत्याहृत किया गया अथवा अन्यथा हैं? हाँ/नहीं
- (k) Whether discharged/expelled/withdrawn from any training institution under the Govt. or otherwise? Yes/No
- (ठ) उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ में हो तो मामला गिरफ्तार/नजरबन्द/जुर्माना/अपराधी/कारावास/सजा आदि के होने और/या इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्राधिकरण/संस्था में चल रहे मुकदमे के मामले के संबंध में ब्यौरा दीजिए।
- (l) If the answer to any of the above mentioned question is 'Yes', give full particulars of the case/arrest/detention/fine/conviction/sentence/punishment etc. and/or the name of the case pending in the Court/University/Educational Authority etc. at the time of filling up this form.

टिप्पणी: (1) कृपया इसका साक्ष्यांकन फार्म के ऊपर दी गई 'चेतावनी' को भी देखिए।

Note: Please also see the "Warning" at the top of this Attestation Form.

(2) यथास्थिति "हाँ" या "नहीं" को काट कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दिया जाना चाहिए।

Specific answer to each of the question should be given by striking out "Yes" or "No" as the case may be.

13. अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे दो व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हों। 1.
Name of two responsible persons of your locality or two referees to whom you are known. 2.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना जहां तक मुझे पता है तथा विश्वास है सही तथा पूर्ण है। मैं ऐसी किसी स्थिति से परिचित नहीं हूँ जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य न हो सकूँ।

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

Signature of Candidate.....

तारीख.....

Date

स्थान

Place

पहचान प्रमाण-पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए:-

Certificate to be signed by any one of the following:-

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी;
Gazetted officers of Central or State Government;
- (2) साधारण तथा जहां का उम्मीदवार तथा उसके माता-पिता / रक्षक निवासी है उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य;
Members of Parliament or State Legislature belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardian ordinarily reside;
- (3) सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/अधिकारी;
Sub-Divisional Magistrate/Officers;
- (4) मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत तहसीलदार या नायब उप-तहसीलदार;
Tehsildar or Naib/Dy. Tehsildar authorized to exercise magisterial powers;
- (5) जहां उम्मीदवार पहले पढ़ता रहा हो वहां के मान्यताप्राप्त स्कूल/कालेज/संस्था का प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक;
Principal/Headmaster of the recognized School/College/Institution where the candidate studied last;
- (6) ब्लाक विकास अधिकारी;
Block Development Officers;
- (7) पोस्टमास्टर; और
Postmaster; and
- (8) पंचायत निरीक्षक;
Panchayat Inspectors;

प्रमाणित किया जाता है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
 को पिछले वर्षों महीनों से
 जानता हूँ और जहां तक मुझे पता है और विश्वास है कि उसने जो ब्यौरे दिये हैं वह सही हैं।

Certified that I have known Shri/Shrimati/Kumari Son/daughter of
 Shri for the last years months
 and that to the best of my knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

हस्ताक्षर

Signature.....

पदनाम या हैसियत और पता

Designation or Status and address.....

स्थान

Place

तारीख

Date

(कार्यालय द्वारा भरा जाने के लिए)

(To be filled by the office)

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता
 Name, designation and full address of the appointing authority
- (2) पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है।
 Post for which the candidate is being considered.

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
(अनुसंधान तथा विश्लेषण अनुभाग)
(RESEARCH & ANALYSIS SECTION)

व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि विषयक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली
Questionnaire for eliciting background information of the candidates appearing for Personality Test
सिविल सेवा परीक्षा, 2011

(I) यह प्रश्नावली केवल सामान्य जानकारी एकत्रित करने के लिए है। इसका चयन&प्रक्रिया से किसी भी रूप में **कोई संबंध नहीं** है। प्रश्नावली में आपके द्वारा दी गई सूचना **गोपनीय** मानी जाएगी और इसका उपयोग केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। अतः सुनिश्चित कर ले कि प्रश्नावली के सभी कॉलम ठीक-ठीक भरे हो तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं रहे।

This Questionnaire is for collecting routine information only and is **not related** to the selection process in any way. Information provided by you in the questionnaire will be treated as **Confidential** and is to be used for research purposes only. Therefore, please ensure that all the columns of the questionnaire have been filled correctly and no column has been left blank.

(II) आप से अनुरोध है कि व्यक्तिव परीक्षण के दिन आयोग के कार्यालय आते समय, इस प्रश्नावली को भरकर अपने साथ लेकर आएं तथा व्यक्तिव परीक्षण के संबंध में, आपसे मिलने वाले अधिकारी को दे दें।

You are requested to bring this questionnaire, duly filled in, with you in the Commission's Office on the day of your Personality Test and hand it over to the UPSC officer attending you for your Personality Test.

(III) जहाँ दिये गये हों, वहाँ खानों में केवल कूट ही भरें।

Please use codes only in the boxes, wherever provided.

1	अभ्यर्थी के बारे में सामान्य सूचना General information about the candidate	
1.1	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Full Name (In Capital Letters)	<input type="text"/>
1.2	अनुक्रमांक Roll No.	<input type="text"/>
1.3	जन्म की तारीख Date of Birth	दिन Date <input type="text"/> <input type="text"/> महीना Month <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष Year <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.4	लिंग [पुरुष -1; महिला -2] Gender [Male -1; Female -2]	<input type="checkbox"/>
1.5	समुदाय [अ.जा.-1; अ.ज.जा.-2; अ.पि.व.-3; सामान्य -4] Community [SC -1; ST -2; OBC -3; General -4]	<input type="checkbox"/>
1.6	वैवाहिक स्थिति [अविवाहित -1; विवाहित -2; अन्य(कृपया स्पष्ट करें) -3] Marital Status [Unmarried -1; Married -2; Others (please specify) -3]	<input type="checkbox"/>
1.7	क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार हैं? Whether you are a person with disability? यदि हां तो विकलांगता की श्रेणी लिखें- if yes, mention the category - (अस्थि अक्षम चलने में असमर्थ/प्रमस्तिकीय/पक्षाघात -1; नेत्रहीनता या कम दृष्टि -2; श्रवणबाधित -3; यदि नहीं; तो लिखें -4) (Orthopaedically handicapped/locomotor disability/cerebral palsy -1; Blindness or low vision -2; Hearing impairment -3; If No, write -4)	<input type="checkbox"/>

2	उम्मीदवार की पृष्ठभूमि Background of the candidate अपना जबाब देने के लिये कृपया कूट का प्रयोग करे Please use codes to indicate your response [ग्रामीण -1; तहसील / कस्बा -2; जिला मुख्यालय -3; महानगर के अलावा राज्य की राजधानी -4; महानगर (मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई) -5] [Village-1; Tehsil/Town -2; District Headquarter -3; State Capital other than Metropolis -4; Metropolis (Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi) - 5]									
2.1	जन्म स्थान Place of Birth	<input type="checkbox"/>								
2.2	वह स्थान जहां आपने अधिकांश स्कूली शिक्षण ग्रहण की Place where you had most of your school education	<input type="checkbox"/>								
2.3	निवास स्थान जहां आप उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद अधिकतर रहे Place of residence (most of the time) after completing Higher Secondary Education (i.e. 10+2)	<input type="checkbox"/>								
2.4	वह स्थान जहां आपके पिता या अभिभावक पिछले 15 वर्षों के दौरान अधिकांश समय रहे Place of staying of father/guardian (most of the time) during the last 15 years	<input type="checkbox"/>								
2.5	नीचे लिखी परिभाषा के अनुसार, आपके जन्म स्थान, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और रोजगार के स्थान तथा आपके पिता के आवास-स्थान को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं को किस परिवेश का मानते हैं, ग्रामीण या शहरी- [ग्रामीण -1, शहरी -2] After taking into account of your place of birth, place of schooling, place of college education and employment, your father's / guardian's place of stay; do you consider your background as Rural or Urban, as per the definition* given below [Rural -1; Urban -2]	<input type="checkbox"/>								
<p>*भारत की जनगणना 2001 में अपनाई गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार है :</p> <p>(क) नगरपालिका; नगर निगम; छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि सहित सभी सांविधिक स्थान ।</p> <p>(ख) ऐसा स्थान जो एक साथ निम्नलिखित तीनो शर्तों को पूरा करता हो :</p> <p>(i) कम से कम 5000 की जनसंख्या</p> <p>(ii) कम से कम 75 प्रतिशत कार्यरत पुरुष गैर कृषि कार्यकलापों में लगे हों और</p> <p>(iii) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (1000 प्रति वर्ग मील हो)</p> <p>*In the Census of India 2001, the definition of urban area adopted is as follows:</p> <p>(a) All places with a Municipality, Corporation, Cantonment Board or Notified Town Area Committee, etc.</p> <p>(b) A place satisfying the following three criteria simultaneously:</p> <p>(i) A minimum population of 5,000;</p> <p>(ii) At least 75 percent of male working population engaged in non-agriculture pursuits; and</p> <p>(iii) A density of population of at least 400 per sq k.m. (1,000 persons per sq. mile)</p>										
3	रोजगार की स्थिति Employment Status									
3.1	उम्मीदवारों के वर्तमान रोजगार की स्थिति Present Employment Status of the candidate [सेवारत -1; बेरोजगार -2; विद्यार्थी -3; शोधार्थी -4; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -5] [Employed -1; Unemployed -2; Student -3; Research Scholar -4; Others (please specify) -5]	<input type="checkbox"/>								
3.2	यदि सेवारत हैं तो रोजगार का स्वरूप If employed, nature of employment [सार्वजनिक क्षेत्र -1; निजी क्षेत्र -2; सरकारी सेवा -3; स्व-रोजगार -4; शिक्षण -5] अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -6] [Public Sector -1; Private Sector -2; Government Service -3; Self employed -4; Teaching -5; Others (Please specify) -6]	<input type="checkbox"/>								
3.3	यदि सेवारत है तो उम्मीदवार की कुल वार्षिक आय Total Annual income of the candidate, if employed	<div style="display: flex; align-items: center;"> ₹.- Rs. <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div>								

4	पिछली सिविल सेवा परीक्षा(ओं) में चयन Selection in previous Civil Services Examination(s)	
4.1	क्या आपका चयन पिछली सिविल सेवा परीक्षा(ओं) के आधार पर हुआ है ? Have you been selected on the basis of previous Civil Services Examination(s) ? [हाँ -1; नहीं -2; लागू नहीं होता -3] [Yes -1; No -2; Not Applicable -3]	<input type="checkbox"/>
यदि उपरोक्त (4.1) का जबाब हाँ है, तो निम्नांकित (4.2), (4.3) व (4.4) को भरें। If yes to (4.1) above, go to (4.2), (4.3) and (4.4) below.		
4.2	पिछली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर आबंटित सेवा (नीचे दिये गए कोड के अनुसार) Service allotted on the basis of previous Civil Services Examinations ("भा पु सेवा" -1; ग्रुप "क" -2; ग्रुप "ख" -3; कोई सेवा नहीं -4) ("IPS" -1; Group "A" -2; Group " B" -3; Service not allotted -4)	<input type="checkbox"/>
4.3	क्या आपने सेवा ग्रहण की थी ? Did you join the service ? [हाँ -1; नहीं -2; लागू नहीं होता -3] [Yes -1; No -2; Not applicable -3]	<input type="checkbox"/>
4.4	यदि उपर्युक्त (iii) का उत्तर नहीं है तो आबंटित सेवा में न आने का कारण बताएं If no to (iii) above, furnish reason for not joining the service [सेवा ग्रहण करने के लिए समय-सीमा बढ़वाई -1; प्रशिक्षण के पश्चात सेवा से त्यागपत्र दिया -2; योग्यता क्रम में सुधार के लिए सिविल सेवा परीक्षा फिर से दी -3; पहले से ही सेवारत -4; आबंटित सेवा रूचि की नहीं -5; नियुक्ति पत्र नहीं मिला -6; अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें) -7] [Took extension for joining the service -1; Resigned the service after training -2; Appearing in CS Examination again for improvement -3; Already in same service -4; Not allotted service of choice -5; Appointment order not received -6; Others (Please specify) -7]	<input type="checkbox"/>

5	उन प्रतियोगी परीक्षा(ओं) के विवरण जिनमें रोजगार हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त हुई (नीचे दिये गए कोड के अनुसार) Particulars of the competitive examinations(s) for employment finally qualified by you, if any (as per the codes given below)							
[सिविल सेवा परीक्षा -1; इंजीनियरी सेवा परीक्षा -2; भारतीय वन सेवा परीक्षा -3; संघ लोक सेवा आयोग की कोई अन्य परीक्षा -4; कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा -5; रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा - 6; केन्द्र / राज्य सरकार की परीक्षा -7; बैंक पी. ओ. परीक्षा -8; बैंक के लिपिकीय तथा कनिष्ठ पदों की परीक्षा -9; सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ली गई परीक्षा -10; निजी क्षेत्र द्वारा ली गई परीक्षा -11; राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा -12; अन्य कोई परीक्षा (कृपया स्पष्ट करें) -13] [Civil Services Examination -1; Engineering Services Examination -2; Indian Forest Service Examination -3; Any other UPSC Examination -4; Staff Selection Commission Examination -5; Railway Rectt. Board Examination -6; Central / State Govt. Examination -7; Bank PO Examination -8; Bank Clerical & Junior Posts Examination -9; Examination conducted by Public Sector -10; Examination conducted by Private Sector -11; State Public Service Commission Examination -12; Any other Examination(s) (Please specify) -13]								
रोजगार के लिए अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त प्रतियोगिता (ओं) परीक्षा के कोड लिखें Write code(s) of the competitive examinations finally qualified by you		<table border="1"> <tr> <td>परीक्षा - 1 Exam -1</td> <td>परीक्षा - 2 Exam - 2</td> <td>परीक्षा - 3 Exam - 3</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	परीक्षा - 1 Exam -1	परीक्षा - 2 Exam - 2	परीक्षा - 3 Exam - 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
परीक्षा - 1 Exam -1	परीक्षा - 2 Exam - 2	परीक्षा - 3 Exam - 3						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
कितनी बार चयनित हुए Number of times finally qualified.		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

6	सिविल सेवाओं को वरीयता देने के लिए, प्राथमिकता के आधार पर दो कारण बताएं (नीचे दिये गए कोड के अनुसार) Give two reasons in order of priority for preferring Civil Services (as per the codes given below)					
[बेहतर वेतन -1; बेहतर सेवा शर्तों/ पेशे में उन्नति -2; प्रतिष्ठा/सामाजिक स्थिति -3; अधिकार/प्राधिकार/नेतृत्व का अवसर -4; सेवा संतुष्टि -5; सेवा सुरक्षा -6; विविधता/ चुनौती -7; जनसेवा/ समाज के लिए लाभकारी -8; अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें) -9] [Better pay -1; Better service conditions / advancement in career -2; Prestige / Social Status -3; Power/ Authority/ Leadership opportunity -4; Job satisfaction -5; Job security -6; Diversity/ Challenge -7; Public Service/ Utility to society -8; Any other reason (Please specify) -9]		<table border="1"> <tr> <td>प्रथम प्राथमिकता First Priority</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>द्वितीय प्राथमिकता Second Priority</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	प्रथम प्राथमिकता First Priority	<input type="checkbox"/>	द्वितीय प्राथमिकता Second Priority	<input type="checkbox"/>
प्रथम प्राथमिकता First Priority	<input type="checkbox"/>					
द्वितीय प्राथमिकता Second Priority	<input type="checkbox"/>					

7	शिक्षा संबंधी ब्यौरे Educational Particulars:		
7.1	शिक्षा का माध्यम Medium of instruction [अंग्रेजी -1; हिन्दी -2; क्षेत्रीय भाषा -3; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -4] [English -1; Hindi -2; Regional language -3; others (please specify) -4]	<input type="checkbox"/> स्कूली स्तर पर / School level <input type="checkbox"/> कॉलेज स्तर पर /College level	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.2	विद्यालय स्तर पर जिन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की : Type of institution attended at school level: [सरकारी विद्यालय -1; पब्लिक विद्यालय -2; सहायता प्राप्त निजी विद्यालय -3; मिशनरी विद्यालय -4; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -5] [Govt. School -1; Public School -2; Aided Private School -3; Missionary School -4; Others (please specify) -5]		<input type="checkbox"/>
7.3	कॉलेज स्तर पर जिन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की : Type of institution attended at college level: [सरकारी महाविद्यालय / संस्था -1; निजी महाविद्यालय -2; विश्वविद्यालय/ संस्था -3; पत्राचार/ दूरवर्ती विश्वविद्यालय -4; समविश्वविद्यालय -5; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -6] [Govt. College/ Institution -1; Private College/ Institution -2; University -3; Correspondence / Distance Education /Open University -4; Deemed University -5; Others (Please specify) -6]		<input type="checkbox"/>
7.4	शैक्षणिक विषय - क्षेत्र Academic Discipline कृपया पूरी की गई शैक्षिक योग्यताओं को बताएं Please mention the academic discipline of completed educational qualifications [मानविकी(सामाजिक विज्ञान , विधि आदि) -1; वाणिज्य -2; विज्ञान (कृषि, कंप्यूटर विज्ञान आदि) -3; इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी -4; चिकित्सा और पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान -5; प्रबन्धन -6; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -7] [Humanities- (including Social Science, Law, etc) -1; Commerce -2; Science (including Agriculture, Computer Science etc.) -3; Engineering /Technology -4; Medicine/ Animal Husbandry & Vet. Science -5; Management -6; Others (Please specify) -7]	<input type="checkbox"/> स्नातक डिग्री / Graduate degree <input type="checkbox"/> स्नातकोत्तर डिग्री /Post Graduate degree <input type="checkbox"/> एम फिल / M. Phil. <input type="checkbox"/> पी एच.डी. / Ph.D.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.5	विश्वविद्यालय / संस्था की परीक्षाओं में लिये गए विषय और प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत Subjects opted and Percentage of marks obtained in University/Institutional Examination. (ग्रेडों को अंकों में बदल कर] कुल अंकों को प्रतिशत में दर्शाएं) (Grades of marks may please be converted and mentioned in aggregate marks in %)		
	परीक्षा का नाम Name of Examination	मुख्य विषय Main Subject(S)	अंकों का प्रतिशत में Aggregate marks in Percentage
	स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण परीक्षा Graduate level examination passed	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	स्नातकोत्तर स्तर पर उत्तीर्ण परीक्षा Post Graduate level examination passed	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	एम. फिल. M. Phil.	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	पीएच. डी Ph. D.	_____	

8	माता-पिता / अभिभावक की पृष्ठभूमि Background of Parents/Guardian								
8.1	<p>माता - पिता / अभिभावक की शैक्षिक योग्यताएं (नीचे दिये गए कोड के अनुसार)</p> <p>Educational Qualifications of Parents/Guardian (as per the codes given below) (यदि जीवित न हो तो भी उल्लेख करें)(Please indicate if deceased) [कोई स्कूली शिक्षा नहीं -1; दसवीं से कम -2; मैट्रिक या समकक्ष -3; स्नातक -4; स्नातकोत्तर -5; व्यावसायिक (अर्थात् चिकित्सा/विधि/इंजीनियरी/शिक्षण/पशुचिकित्सा विज्ञान/प्रबन्धन/एकाउन्टेंसी/कंपनी सचिव -6; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -7] [No Schooling -1; Below 10th Class -2; Matriculation or equivalent -3; Graduate -4; Post Graduate -5; Professional (i.e. Medicine, law, Engineering, Teaching, Vet. Science, Management, Accountancy, Company Secretary etc.)-6; Others (Please specify) -7]</p>	<p>पिता / अभिभावक Father / Guardian</p> <p>माता Mother</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
8.2	<p>माता - पिता / अभिभावक का व्यवसाय Profession of Parents / Guardian [कृषि -1; उद्योग/अपना व्यवसाय -2; सरकारी सेवा -3; सिविल सेवा (सेवा का उल्लेख करें) -4; शिक्षण -5; डॉक्टर -6; इंजीनियरी -7; वैज्ञानिक -8, वकील -9; लेखाकार -10; प्रबंधन -11; गृहिणी -12; सेवानिवृत्त -13; दिवंगत -14; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -15] [Agriculture -1; Industry/Own business/Self employed -2; Govt. Service/Public Sector -3; Civil Service (i.e. IAS/IFS/IPS/IRS etc) -4; Teaching -5; Medicine -6; Engineering -7; Scientist -8; Lawyer -9; Accountant -10; Management -11; Housewife -12; Retired -13; Deceased -14; Others (Please specify) -15]</p>	<p>पिता / अभिभावक Father / Guardian</p> <p>माता Mother</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
8.3	<p>सभी साधनों से माता - पिता / अभिभावक की कुल वार्षिक आय Parents/Guardian's total annual income from all sources</p>	रु.- Rs	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						

9	सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जानकारी का स्रोत (नीचे दिये गए कोड के अनुसार) Source of information about the Civil Services Examination. (as per the codes given below)		
9.1	<p>[विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो / रोजगार कार्यालय -1; रोजगार समाचार / दैनिक समाचार पत्र -2; दूरदर्शन/रेडियो विज्ञापन -3; संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट -4; महाविद्यालय के मित्रों / प्राध्यापकों / संबंधियों के माध्यम से -5; कोई अन्य साधन (कृपया स्पष्ट करें) -6] [University Employment Bureau / Employment Exchange -1; Employment News / Daily Newspaper -2; Television / Radio Advertisement -3; UPSC Website -4; College friends/ Teachers / Relatives -5; Others (Please specify) -6]</p>		<input type="checkbox"/>
9.2	<p>यदि कोड 2 है तो कृपया समाचार पत्र का नाम स्पष्ट करें If code is 2, please specify the name of Newspaper</p>		<input type="text"/>

10	कोचिंग Coaching attended		
	<p>यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था Coaching institute attended, at any stage if any, while preparing for Civil Services Examination: [सरकारी संस्था -1; विश्वविद्यालय -2; निजी कोचिंग केन्द्र -3; अन्य (कृपया स्पष्ट करें) -4; कोई नहीं -5] [Government institute -1; University -2; Private Coaching Centre -3; Others (please specify) -4; Not Attended -5]</p>	<p>सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा For Civil Services (Prelm.) Exam</p> <p>सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा For Civil Services (Mains) Exam</p> <p>सिविल सेवा (व्यक्तित्व परीक्षण) For Civil Services (Personality Test)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

11	प्रयासों की संख्या Number of attempts made वर्तमान सहित, कितनी बार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए? Number of attempts made in Civil Service Examinations, (including the present one) (नीचे दिए गए खानों में संख्या दर्शाएं) (Specify the number in the block given)		
	सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा Civil services (Preliminary) Examination	कितनी बार शामिल हुए No. of attempts made	<input type="text"/>
		कितनी बार सफल घोषित हुए No. of times qualified	<input type="text"/>
	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा Civil services (Main) Examination	कितनी बार शामिल हुए No. of attempts made	<input type="text"/>
		कितनी बार सफल घोषित हुए No. of times qualified	<input type="text"/>

12	वैकल्पिक विषयों का चयन Optional subjects chosen		
12.1	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में लिए गए वैकल्पिक विषय Optional subjects chosen in the Civil Services (Main) Examination		
	वर्तमान सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में वैकल्पिक विषय Optional Subjects in Present CS (Main) Examination	पिछली सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में वैकल्पिक विषय Optional Subjects in previous CS (Main) Examination if applicable	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
12.2	वर्तमान सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में लिया गया /लिये गये वैकल्पिक विषय वही /अलग है जो आपने कॉलेज / विश्वविद्यालय में पढ़े हैं : Whether optional subject(s) offered by you in the present CS (M) Examination, is/are same/different from what you had studied in college/university [वही विषय -1; एक अलग विषय -2; दोनों अलग विषय -3] [Same subject (s) -1; One subject different -2; Both subjects different -3]		<input type="text"/>
12.3	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़े विषयों से हटकर अन्य वैकल्पिक विषय लेने का कारण Reason for choosing different optional subject (s) at CS(Main) other than what you had studied in college/University [सामान्य रुचि/अभिरुचि -1; अधिक अंक दिलाने वाले/आसान -2; सहायक सामग्री/मार्गदर्शन की उपलब्धता -3; शैक्षणिक विषय/कार्यक्षेत्र से संबद्ध -4; दैनिक सामाजिक जीवन/सुपरिचितता से जुड़ा पाठ्यक्रम -5; सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अध्ययन में लाभप्रद वैकल्पिक विषय -6; शैक्षणिक विषय, संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यविवरण में शामिल नहीं -7; कोई कारण नहीं -8; कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें) -9] [General interest/aptitude -1; High scoring/easy -2; Availability of material/guidance -3; Related with academic subjects -4; Course content relevant to daily social life/familiarity -5; Optional subject(s) useful for study of General Study Paper -6; Academic subjects not included in UPSC syllabus -7; Any other reason (Please specify) -8]		<input type="text"/>

सुझाव

Suggestions

सिविल सेवा परीक्षा में सुधार (जैसे -पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रक्रिया, व्यक्तित्व परीक्षण आदि) के लिये कोई सुझाव। कृपया संक्षिप्त और विषेश सुझाव ही दें।

Please give specific suggestion(s), in brief to improve the Civil Services Examination with regard to Syllabus, Examination System, Personality Test etc.

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पत्रक संलग्न किया जा सकता है)
(Extra sheet, if necessary, may be appended)

दिनांक

Date:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(Signature of candidate)

पता

Address:

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

विषय - साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण/मौखिक परीक्षा बुद्धि आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों के यात्रा-व्यय में आयोग के अंशदान से सम्बद्ध टिप्पणी

संघ लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को यात्रा या अन्य व्यय नहीं देता है पर वह उसमें निम्नलिखित सीमा तक अंशदान देता है-

(क) रेलयात्रा के संबंध में किसी उम्मीदवार के यात्रा व्यय में आयोग के अंशदान के रूप में उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थल से या जहां से वह वस्तुतः रेल यात्रा करता है उस स्थल से इनमें जो भी साक्षात्कार स्थल से अधिक नजदीक हो-निकटतम रेल स्टेशन से निकटतम मार्ग द्वारा साक्षात्कार स्थल तक और उसी स्टेशन तक वापसी के लिए केवल एक व्यक्ति का द्वितीय श्रेणी (डाक) का रेल किराया या वस्तुतः दिया गया रेल किराया, जो भी कम हो, मिलेगा। जो उम्मीदवार शायिका की सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के रेल किराये के साथ-साथ शायिका पर होने वाले व्यय की भी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी। भारत में जो स्थान रेल द्वारा न जुड़ा हो ओर जहां यात्रा स्टीमर द्वारा की जाती हो वहां से की गई समुद्र यात्रा के लिए अंशदान की दर भोजन का खर्च निकाल कर केवल एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी के स्टीमर के किराये तक सीमित रहेगी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से साक्षात्कार हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों के मामले में उनके स्टीमर के खर्च में आयोग का अंशदान "केवल बंक क्लास" के किराये तक सीमित रहेगा। भारत के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में भारत संघ की सीमा में की गई यात्रा के लिए देय यात्रा भत्ता की मात्रा तक ही आयोग का अंशदान सीमित रहेगा।

(ख) जो उम्मीदवार ऐसी जगह रहता है जहां कोई स्टेशन न हो उस सड़क द्वारा की गई यात्रा के अंश के लिए 8 पैसे प्रति कि.मी. के हिसाब से सड़क मील भत्ता या सड़क यात्रा के लिए अदा की गई वास्तविक रकम का, जो भी कम हो, भुगतान किया जायेगा। सड़क मील भत्ता निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और से या उपमंडल या तहसील मुख्यालय से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और वापसी के लिए की गई सड़क यात्रा-जो भी फासला कम हो-के आधार पर दिया जायेगा।

(ग) रेल कर्मचारियों को समुचित रेल प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उन्हें इस यात्रा के लिए मुफ्त पास/पी.टी.ओ. नहीं दिया गया था, उतना ही अंशदान अदा किया जायेगा जो अन्य उम्मीदवारों को देय हैं। यदि वे साक्षात्कार हेतु आने के लिए प्रिविलेज पास का उपयोग करते हैं तो यह अंशदान अदा नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि रेल कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारी पी.टी.ओ. का उपयोग करते हैं तो उन्हें पी.टी.ओ. पर खर्च हुई रकम दे दी जायेगी जो अधिक से अधिक निकटतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी के रेल किराये की रकम या उम्मीदवार द्वारा वस्तुतः रेल किराये पर खर्च की गई रकम-जो भी कम हो-के बराबर होगी।

(ङ) दिल्ली में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिस्थितियों में 30 रुपये प्रतिदिन की दर पर प्रवास भत्ता दिया जायेगा:-

- (1) जब कोई उम्मीदवार किसी तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उसका साक्षात्कार उस दिन न हो पाये और उसके शीघ्र बाद किसी अन्य तारीख को उसका साक्षात्कार हो;
- (2) जब आयोग द्वारा कोई उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए और उनके बीच का समय इतना कम हो कि इस बीच में उम्मीदवार का वापस जाकर फिर आना संभव न हो और;

टिप्पणी - इस खंड के अन्तर्गत आयोग द्वारा किसी ऐसे उम्मीदवार को भी प्रवास भत्ता प्रदान किया जा सकता है जो आयोग के अलावा किसी अन्य संगठन द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया हो और जिसको उसके सामान्य निवास स्थल से साक्षात्कार स्थल तक की तथा वापसी यात्रा के लिये उस संगठन द्वारा यात्रा भत्ता दे दिया गया हो (किन्तु उस अवधि के लिए प्रवास भत्ता नहीं दिया गया हो) और वह आयोग के साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए साक्षात्कार स्थल पर रुका रहता है बशर्त कि यदि पहला साक्षात्कार भी किसी अन्य संगठन के बजाय आयोग द्वारा होकर लिया जाता तो उसको उक्त पैरा के अधीन आयोग द्वारा यह प्रवास भत्ता देय हो जाता।

- (3) जब लिखित/प्रायोगिक परीक्षा के बाद जिस तारीख को उम्मीदवार का साक्षात्कार किया जाता हो। जिस तारीख (जिन तारीखों) को कोई साक्षात्कार या लिखित परीक्षण किया जाता है उसके लिए कोई प्रवास-भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रवास-भत्ता का भुगतान इस शर्त पर होगा कि आने और जाने की यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता में किया जाने वाला अंशदान तथा प्रवास भत्ता आने-जाने के लिए की गई दो अलग यात्राओं हेतु किये जाने वाले यात्रा भत्ता अंशदान से अधिक किफायती हो।

(च) जहां उम्मीदवारों को रेल व सड़क टिकट मिलते हैं वही हमेशा उन्हें यात्रा हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। जहां-जहां ऐसे टिकट मिलते हैं वहां आयोग रेल व सड़क टिकटों की लागत तक ही अंशदान करेगी।

(छ) जब रेल द्वारा यात्रा उस समय की जाए जब रियायती वापसी टिकट मिल सकती हैं तो उक्त यात्रा हेतु आयोग का अंशदान हमेशा उन रियायती वापसी टिकटों की लागत तक ही सीमित रहेगा।

(ज) जब किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया गया हो तो उम्मीदवार को रेल किराये पर खर्च हुई रकम का भुगतान किया जायेगा जो अधिक से अधिक सबसे छोटे रास्ते का द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया या उसके द्वारा रेल किराये पर खर्च की गई वास्तविक रकम-जो भी कम हो - होगी।

(झ) जब कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान्य निवास स्थल के अलावा अन्य किसी स्थल में साक्षात्कार स्थल तक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और साक्षात्कार स्थल से वह स्थल उसके सामान्य निवास स्थल से अधिक दूर हो और यदि उम्मीदवार किसी निजी सेवा में हो तो अपने नियोक्ता से और यदि सरकारी सेवा में हो तो अपने कार्यालयध्यक्ष से उसको इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने साथ लाना चाहिए कि उसने साक्षात्कार हेतु उस स्थल से वस्तुतः यात्रा की थी यदि वह सेवारत नहीं है तो उसके सामान्य निवास स्थल से कोई परिवर्तन केवल तभी स्वीकार्य होगा जब अपने परिवर्तित पते की सूचना उसने आयोग को साक्षात्कार की तारीख से पहले दे दी हो।

टिप्पणी 1 - जहां उम्मीदवार अनंतिम हो उन मामलों को छोड़कर साक्षात्कार हेतु आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता में आयोग के अंशदान का भुगतान नकद रूप में तत्काल कर दिया जायेगा। अतः उम्मीदवारों को चाहिए कि जब वे साक्षात्कार हेतु आये तभी अपने आने और जाने की यात्रा का विवरण संलग्न यात्रा भत्ता प्रपत्र में विधिवत भर कर उसे अपने साथ लेते आये।

टिप्पणी 2 - आयोग द्वारा उम्मीदवारों के भोजन और आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, NEW DELHI

Subject-Note regarding payment of the Commission's contribution towards travelling expenses of candidates summoned for interview/Personality Test/Viva Voce/Intelligence Tests etc.

The Union Public Service Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates summoned for interview. They however, contribute towards those expenses to the extent mentioned below:-

(a) In respect of journeys by rail, payment of the Commission's contribution towards the travelling expenses of a candidate shall be restricted to a single Second Class (Mail) railway fare by the shortest route to the place of interview from the railway station nearest to the candidate's normal place of residence or from which he actually performs the rail journey, which is nearer to the place of interview, and back to the same station or the amount of railway fare actually incurred, whichever is less. In addition to Second Class railway fare, sleeper charges shall be reimbursed to the candidates who avail of the sleeper facility, in respect of journey by sea from and to any place in India which is not connected by rail and where the mode of travel is by steamer, the rate of contribution will be restricted to a single Second Class steamer fare exclusive of the diet charges. In the case of candidates who are called for interview from Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, the Commission's contribution towards their steamer charges will be restricted to "Bunk Class" fare only. In the case of a candidate who comes from outside India, the Commission's contribution towards T.A. will be restricted to that admissible for journeys performed within the limits of the Indian Union.

(b) A candidate who resides at a place where there is no railway station shall, for the portion of road journey, performed by him, be paid road mileage at the rate of 8 Paise per Kilometre or the actual amount paid for the road journey, whichever is less. The road mileage will be based on the road journey performed to and from the nearest railway or steamer station, or from the sub-division or Tehsil Headquarters, to the nearest railway or steamer station and back, whichever distance is shorter.

(c) Railway servant will be paid the same contribution as are admissible to other candidates on producing a certificate from the appropriate railway authority to the effect that they were not provided with free passes/P.T.O.'s to cover the journey. No such contribution will be paid if they use a privilege pass for the purpose of coming for interview.

(d) If railway servants or other Central Government servants use a Privilege Tickets Order they will be paid the amount spent on the Privilege Ticket Order subject to a maximum of the Second Class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by the candidates whichever is less.

(e) Halting allowance at the rate of Rs.30.00 per day shall be granted to candidates summoned for interview/personality tests etc. at Delhi in the following circumstances:-

- (i) Where a candidate is invited for interview on a particular date, but is not interviewed on that date due to administrative difficulties and is interviewed on another date soon thereafter;
- (ii) Where candidate is called for interview by the Commission for different posts on two different dates, the interval between these dates being so short that the candidate cannot be expected to go back and come again; and

Note - Halting allowance under the clause may also be granted by the Commission to a candidate who is called for an interview by any Organization, other than the Commission and is paid T.A. by that Organization for his journey from his normal place of residence to the place of interview and back (but not halting allowance for the same period) and who continues to stay at the place of interview to attend interview of the Commission provided that such halting allowance would have been payable by the Commission under the sub-para had the earlier interview also been arranged by the Commission instead of by any other organization.

(iii) Where a candidate is required to take a written practical test followed by interview on a subsequent date.

No halting allowances shall be admissible for the particular date(s) on which an interview or a written test is held. The payment of halting allowance shall be subject to the condition that the contribution towards travelling allowance for the journey to and from plus the halting allowance is more economical than the payment of T.A. contribution for two separate journeys to and fro.

(f) In all cases where Rail-cum-Road Tickets are available candidates should utilize them for their journey. The Commission's contribution in such cases will be limited to the cost of rail-cum-road tickets, wherever such tickets are available.

(g) In all cases where journey is performed by Railways at a time when concessional return tickets are available the Commission contribution for the journey by Rail shall be limited to the cost of such return tickets.

(h) In case any other concession is used, the candidates will be paid the amount spent on rail fare subject to a maximum of Second Class railway fare by the shortest route or the amount of Railway fare actually incurred by him, whichever is less.

(i) Where a candidate commences his journey to the place of interview from a place other than one mentioned as the normal place of residence in his application and this place is more distant from the place of interview than the normal place of residence, he should bring with him, in case he is employed a certificate from his employer in the case of private employment and from the Head of the Office in the case of employment under Government, to the effect that he actually performed the journey from the place for the purpose of the interview. In case he is not employed, any change in the normal place of residence would be recognized only if he had informed the Commission of the change in his address prior to the date of interview.

Note 1- The Commission's contribution towards the travelling expenses will be paid in cash on the spot when the candidates come for interview, except where the candidature is provisional, Candidates are therefore, required to bring with them the enclosed T.A. Forms duly filled in with particulars of onward and return journey when they come for interview.

Note 2 - The Commission do not make arrangements for boarding and lodging of the candidates.

(मूल प्रति)(Original)
(अनुलिपि सहित)(Duplicate)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

संघ लोक सेवा आयोग से यात्रा भत्ते के अंशदान की मांग प्रस्तुत करने के लिए फार्म
Form for claiming TA contribution for the Union Public Service Commission

साक्षात्कार का स्थान साक्षात्कार की तारीख पद का नाम
Place of Interview Date of Interview Name of Post

नाम व पता Name and address (In Block Letters)	रेल से संबद्ध स्थानों के बीच रेल या दूसरे साधनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण Particulars of Journey by Rail or other means between Station connected by Rail					वास्तव में दिया गया रेल या बस का किराया Rail/Bus fare actually paid	8	पै./P.	
	निर्गम Departure		आगमन Arrival		गाड़ी का नाम Name of the train				श्रेणी जिसमें यात्रा की गई (स्लीपर व्यय और अधिभार, यदि कोई हो तो उसका उल्लेख अलग से करें) Class in which Travelled (Sleeper charges and surcharges, if any, should be indicated separately)
	स्थान Station	तिथि Date	स्थान Station	तिथि Date					
1	2	3	4	5	6	7			
	आगे की यात्रा/Onward Journey						₹./Rs.		
	वापसी यात्रा/Return Journey								
	कुल/Total								

जो रेल से संबद्ध नहीं है उनके बीच यात्रा का विवरण

Particulars of Journey between Station not connected by Rail

सामान्य निवास स्थान से निकटतम रेल (या स्टीमर) स्टेशन की दूरी और उसका नाम।
Distance from normal place of residence to the nearest Railway/Steamer Station and its Name.....
सामान्य निवास स्थान जिस उप-मण्डल/तहसील में स्थित है उसका नाम और उसके मुख्यालय का नाम
Name of the Sub-Div. /Tehsil in which the normal place of residence is situated and its H.Q.....
यदि उप-मण्डल या तहसील के मुख्यालय में कोई रेल (या स्टीमर) स्टेशन न हो तो मुख्यालय के निकटतम रेल (या स्टीमर) स्टेशन की दूरी और उसका नाम
If the Sub-Div. or Tehsil H.Q. has not a Railway/Steamer Station, give the distance from H.Q. to the nearest Railway Station and name

अग्रिम रसीद
PRE-RECEIPT

नोट: अगर रकम 5000.00 रुपये से अधिक हो तो 1 रु का टिकट लगाना जरूरी है

रकम प्राप्त की
Received the payment

Note: Revenue Stamp of Re.1 to be affixed
If the amount is more than Rs.5000.00

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
Signature of Candidate

कुल जोड़
Grand Total

अनुक्रमांक/Roll No..... सं.लो.से.आ.-68
U.P.S.C.-68

प्रामाणित किया जाता है कि:-

1. कालम 7 में दावा किए गए रु.....में वास्तव में साक्षात्कार के स्थान तक यात्रा के लिए रेल/सड़क/हवाई जहाज के किराये पर व्यय किए और वापसी यात्रा के लिए दावा किए गए रु..... वापसी यात्रा के किराये के रूप में ही मेरे द्वारा व्यय किए जाएंगे।

Certified that:-

Rs..... claimed in col.7 were actually spent by me on rail/road/air fare for performing journey up to the place of interview and Rs..... claimed for the return journey will be spent by me on fare for return journey.

2. इस यात्रा के लिए किसी दूसरे स्रोत से कोई यात्रा भत्ता या यात्रा बिल का कोई अंशदान नहीं मांगा गया।

No TA or any other contribution towards TA in respect of this journey has been claimed from any other source.

3. इस यात्रा के लिए कोई रियायती वापसी टिकट नहीं मिला।

No concessional return ticket was available.

4. मैं रेल कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ।
I am/am not a railway servant.

5. सं. लो. से. आ. द्वारा मेरा पिछला साक्षात्कार दिनांक को किया गया था।

I was previously interviewed by U.P.S.C. on

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
Signature of Candidate

(केवल कार्यालय के इस्तेमाल के लिए)
(FOR OFFICE USE ONLY)

<p>प्रमाणित किया जाता है कि:- Certified that :- 1. उम्मीदवार ने यात्रा भत्ता अंशदान का दावा सही स्थान से किया है। The candidate has claimed TA contribution from the right place. 2. सड़क-मील भत्ता नियमानुसार दिया गया है। The road mileage allowance has been allowed in accordance with the rules.</p> <p>रुपए Passed for Rs.</p> <p>(Rupees) के लिए स्वीकृत</p> <p>लेखा अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग Accounts Officer, Union Public Service Commission</p>	<p>भुगतान कर (रुपए) Pay Rs. (Rs.)</p> <p>लेखा अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग Accounts Officer, Union Public Service Commission</p>
---	--

रु. प्राप्त किए
(रुपए
.....
.....)
Received Rs.
(Rupees
.....)

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/सुपुत्री श्री जो गांव/कस्बा
..... जिला/मंडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
..... के/की निवासी है जाति/जनजाति के/की है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@
संविधान (अनुसूचित जनजातियां)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@

[अनुसूचित जातियां ओर अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962@
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@
संविधान (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968@।
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989@।
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@।
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@।
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@।
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश(संशोधन), अधिनियम, 2002@।
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002@

अगला पृष्ठ.....2/-

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रव्रजन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
 ग्राम/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/संघ
 राज्य क्षेत्र* जो जाति/जनजाति* से सम्बन्ध है जिसे
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैं के
 पिता/माता श्री/श्रीमती* को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

दिनांकके द्वारा जारी।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका *परिवार आमतौर पर
 गांव/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
 में रहते/रहती हैं।

हस्ताक्षर
 **पदनाम
 (कार्यालय की मोहर सहित)
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान*
 तारीख

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
 @कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें।
 % जो पैरा लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी - यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची।

- (1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/†सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट असिस्टेन्ट कमिश्नर।
 † (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)
- (2) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।
- (3) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (4) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

'This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter* of Shri of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe* which is recognised as Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :-

- @ the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.
- @ the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.
- @ the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@.
- @ the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956(@.
- @ the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @
- @ the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order,1962.@
- @ the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order,1962.@
- @ the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@
- @ the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@
- @ the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@
- @ the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@ .
- @ the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@
- @ the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@
- @ the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@
- @ the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@
- @ the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@
- @ the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@
- @ the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
- @ the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.@
- @ the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.@
- @ the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment)Act, 2002.@
- @ the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.@

Contd.....2/-

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate* issued to Shri/Shrimati* father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* who belongs to the caste/ tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory issued by the dated

%3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/ town* of District/Division* of the State/Union Territory* of

Signature

**Designation.

(With Seal of Office)

Place:

State/Union Territory*

Date:.....

*Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate*/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (*not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

VI अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत वचन का प्रारूप ।

वचन

मैं पुत्र/पुत्री श्री
गाँव/कस्बा/शहर जिला राज्य
..... का/की निवासी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय का हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के
कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी), में निहित आदेशों के अनुसार नौकरियों में आरक्षण
के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गयी है । यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि
मैं दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त कार्यालय जापन की अनुसूची के कालम 3, जो समय-समय पर संशोधित
किया गया है, में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबद्ध नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर

उम्मीदवार का नाम

अनुक्रमांक

VI. FORMAT OF UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY OBC CANDIDATES

UNDERTAKING

"I son/daughter of
Shri Resident of village/town/city
..... district
state hereby declare that I belong to
the community which is recognized as a
backward class by the Government of India for the purpose of reservation in
services as per orders contained in Department of Personnel and Training
Office Memorandum No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also
declared that I do not belong to persons/sections (creamy layer) mentioned in
Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated
08.09.1993.

Signature

Name of the Candidate

Roll No.

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
सुपुत्र/सुपुत्री* श्री जो जिला/मंडल* के
गाँव/कस्बा* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के/की* निवासी हैं
..... के समुदाय के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता मिली है:-

- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी)।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 का संकल्प सं. 12011/9/94-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 के संकल्प सं. 12011/7/95-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं. 12011/44/96-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/99/94-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/13/97-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं. 12011/68/98-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 के संकल्प सं. 12011/88/98-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं. 12011/36/99-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं. 12011/44/99-बी.सी.सी.।
- @ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं. 12011/9/2000-बी.सी.सी.।
- @ भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 19 जून, 2003 के संकल्प सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी.।
- @ भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी.।
- @ भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी.।
- @ भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी.।

अगला पृष्ठ.....2/-

श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका
परिवार सामान्यता जिला/मण्डल* के गांव/कस्बा*
..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 9.3.2004 के का. ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (सम्पन्न अर्थात् क्रीमी लेयर) से संबन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान :

दिनांक:

*जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

@जो लागू न हो उन्हें काट दें।

टिप्पणी :- यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपल एक्ट 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची।

- (1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/†सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्र असिस्टेन्ट कमिश्नर।
† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)
- (2) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।
- (3) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (4) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*..... son/daughter* of Shri..... of village/town*..... in District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the community which is recognised as a backward class under :-

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 186 dated the 13th September, 1993.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 163 dated 20-10-1994.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 88 dated 25-5-1995.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 60 dated 11th March, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated 11th December, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-I, No. 239 dated the 17th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 236 dated the 12th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 270 dated the 6th December, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 71 dated the 4th April, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 246 dated the 6th September, 2001.

@ Government of India. Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/I/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 151 dated 20th June, 2003.

Contd.....2/-

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.9 dated 13th January, 2004.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 10 dated 16th January, 2006.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 67 dated 12th March, 2007.

Shri/Shrimati/Kumari* and/ or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory* of

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (res.) dated 9th March, 2004 and O.M. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14-10-2008.

Signature.....

**Designation.....

(with seal of office)

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

@ Strike out whichever is not applicable.

**List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/*Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (*not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

संस्थागत/अस्पताल का नाम व पता

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक

अक्षमता प्रमाणपत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत्
अनुप्रमाणित अक्षमता
दर्शाने वाला उम्मीदवार
का हाल का फोटोग्राफ.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु लिंग
पहचान चिन्ह (चिन्हों) निम्नलिखित श्रेणी की अक्षमता स्थायी रूप से है।

क. चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

(i) बी.एल.(BL) - दोनों पैर प्रभावित परन्तु भुजाएं नहीं।

(ii) बी.ए.(BA) - दोनों भुजाएं प्रभावित

(क) क्षीण पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिसक)

(iii) बी.एल.ए.(BLA) - दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित

(iv) ओ.एल.(OL) - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

(क) क्षीण पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिसक)

(v) ओ.ए.(OA) - एक भुजा प्रभावित

(क) क्षीण पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिसक)

(vi) बी.एच.(BH) - सख्त पीठ या कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)

(vii) एम.डब्ल्यू.(MW) - मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. नेत्रहीनता या कम (क्षीण) दृष्टि

(i) बी (B) - नेत्रहीन

(ii) पी.बी. (PB) - आंशिक रूप से नेत्रहीन

ग. श्रवणबाधित

(i) डी (D) - बधिर

(ii) पी.डी. (PD) - आंशिक रूप से बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसें काट दें)

अगला पृष्ठ.....2/-

2. यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। वर्ष महीने की अवधि के बाद इस मामले की पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा की गई है/अनुशंसा नहीं की गई है।

3. उनके/उनकी मामले में अक्षमता की प्रतिशतता प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करते/करती हैं:-

(i)	एफ (F) - अंगुलियों को व्यवस्थित करके किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(ii)	पी.पी. (PP) - खींचकर तथा धकेलकर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(iii)	एल (L) - उठाकर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(iv)	के.सी. (KC) - घुटने के बल पर बैठकर किए या क्राउचिंग किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(v)	बी (B) - झुककर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(vi)	एस (S) - बैठकर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(vii)	एस.टी.(ST) - खड़े रह कर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(viii)	डब्ल्यू (W) - चल कर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(ix)	एस.ई. (SE) - देख कर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(x)	एच (H) - सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं
(xi)	आर.डब्ल्यू. (RW) - पढ़कर या लिखकर किए जाने वाले कार्य	हाँ/नहीं

(डॉ.)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ.)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ.)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTION/HOSPITAL

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent Photograph
of the candidate
showing the
disability duly
attested by the
Chairperson of the
Medical Board.

This is certified that Shri/Smt./Kum.
Son/wife/daughter of Shri Age Sex
identification mark(s) is suffering from permanent disability of following category:

A. Locomotor Disability or Cerebral Palsy:

- (i) BL—Both legs affected but not arms.
- (ii) BA—Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (iii) BLA—Both legs and both arms affected
- (iv) OL—One leg affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA—One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
- (vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B—Blind
- (ii) PB—Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D—Deaf
- (ii) PD—Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

Contd.....2/-

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Reassessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.

3. Percentage of disability in his/her case is per cent.

4. Shri/Smt./Kum. meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :-

- | | | |
|--------|--|--------|
| (i) | F—can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) | PP—can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) | L—can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) | KC—can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) | B—can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) | S—can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) | ST—can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) | W—can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) | SE—can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) | H—can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) | RW—can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr.....)

Member

Medical Board

(Dr.....)

Member

Medical Board

(Dr.....)

Chairperson

Medical Board

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत रिहायशी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
सुपुत्र/सुपुत्री* श्री जो गांव/कस्बा*
..... जिला/मंडल* अरुणाचल
प्रदेश/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/नागालैण्ड/सिक्किम से रिहायशी है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक:

पदनाम

(कार्यालय की मोहर)

*जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

**जो राज्य का नाम लागू न हो उन्हें काट दें।

HAILING FROM CERTIFICATE SUBMITTED BY THE CANDIDAE

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
Son/Daughter* of Shri Village/Town* in
District/Division* hails from** Arunachal Pradesh/Manipur/Meghalaya/Mizoram
/Nagaland/Sikkim.

Signature

Designation

(Seal of Office)

Date

Place

*Please delete the words which are not applicable.

**Strike off the names of States not applicable.